सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 329 राँची, शनिवार, 30 वैशाख, 1938 (श०)

20 मई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 अप्रैल, 2017

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, बोकारो का पत्रांक-1448/गो०, दिनांक 3 मई, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-4609, दिनांक 7 जून, 2016, आदेश सं०-6686, दिनांक 3 अगस्त, 2016 एवं संकल्प सं०-6829, दिनांक 9 अगस्त, 2016
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-101, दिनांक 3 नवम्बर, 2016

संख्या-5/आरोप-1-47/2016 का०-5464-- श्रीमती मंजु रानी स्वांसी, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-815/03, गृह जिला-राँची), के अनुमंडल पदाधिकारी, चास, बोकारो के पद पर कार्यावधि से संबंधित मुख्य सचिव, झारखण्ड के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-1448/गो०, दिनांक 3 मई, 2016 में प्रतिवेदित किया गया कि रामनवमी त्यौहार, 2016 के अवसर पर दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को जिले के

माराफारी थाना क्षेत्र के सिवनडीह में समुचित सुरक्षा व्यवस्था एवं पर्यवेक्षण नहीं की गई, जिसके कारण दो समुदायों के बीच मारपीट एवं आगजनी की घटना घटी ।

उक्त आरोप हेतु विभागीय पत्रांक-4609, दिनांक 7 जून, 2016 द्वारा श्रीमती स्वांसी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, परन्तु इसके अनुपालन में इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है । फलतः विभागीय आदेश सं०-6686, दिनांक 3 अगस्त, 2016 द्वारा श्रीमती स्वांसी को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं विभाग स्तर पर प्रपत्र- 'क' का गठन किया गया । श्रीमती स्वांसी के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोप निम्नवत् है-

आरोप- उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-1448/गो०, दिनांक 3 मई, 2016 द्वारा रामनवमी, 2016 के अवसर पर सिवनडीह में दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को अपराह्न 05:00 बजे हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों के बीच पथराव एवं आगजनी की घटना की जाँच निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो द्वारा की गयी है । इनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-720, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 द्वारा समर्पित किया गया है । जाँच प्रतिवेदन निम्नवत् है-

1. रामनवमी, 2016 के अवसर पर उपायुक्त, बोकारो के ज्ञापांक-1218, दिनांक 12 अप्रैल, 2016 द्वारा निर्गत संयुक्त आदेश में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारियों हेतु आवश्यक निदेश दिये गये थे, जिनका अक्षरशः अनुपालन करना सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों का कर्त्तव्य था ।

2. उक्त आदेश में माराफारी थाना अन्तर्गत सिवनडीह, आजाद नगर, डुमरो, बांसगोड़ा एवं रितुडीह को संवेदनशील स्थानों में चिह्नित किया गया है, जो घटना का केन्द्र बिन्दु है । धार्मिक जुलूस के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है कि इसमें काफी सतर्कता बरती जाय। साथ ही, मोटर साईकिल के परिचालन एवं बाध्ययंत्रों (डीजे आदि) के बजाने पर रोक लगाई गई थी । जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक, दिनांक 12 अप्रैल, 2016 में जिला संयुक्त आदेश के सभी बिन्दुओं को स्पष्ट कर दिया गया था । सभी पदाधिकारियों से निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था, ताकि विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो तथा जिले में साम्प्रदायिक सदभाव बना रहे।

3. संयुक्त जिला आदेश के आलोक में सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारयिों तथा पुलिस बल को दिनांक 14 अप्रैल, 2016 के अपराह्न 02:00 बजे अपने-अपने स्थान पर पदभार ग्रहण कर लेना था तथा अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त रहना था । आपको अपने क्षेत्रान्तर्गत समय-समय पर पर्यवेक्षण करने तथा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के अनुपस्थिति के संबंध में पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त महोदय को प्रतिवेदित करना था ।

4. दिनांक 15 अप्रैल, 2016 की संध्या 04:30 बजे रितुडीह से मोटर साईकिल जुलूस श्री जगेश्वर साव के नेतृत्व में निकला, जिसका विरोध रितुडीह में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया । पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय एवं अन्य पदाधिकारीगण एवं आपके द्वारा भी मोटरसाईकिल जुलूस का अवलोकन एन०एच० 23 पर किया गया । आपलोग जुलूस को नजरअंदाज कर सिवनडीह पहुँच गये ।

5. अपराह्न 05:30 बजे श्री जगेश्वर साव के नेतृत्व में रितुडीह का मोटर साईकिल जुलूस सिवनडीह पहुँच गया, जिसका मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने विरोध किया । उपस्थित दण्डाधिकारीगण एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा बीच-बचाव कर जुलूस को वापस अथवा आगे जाने देने हेतु प्रयास किया गया । इस संबंध में मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी दो पक्षों में बँटे हुए थे । एक पक्ष का कहना था कि जुलूस जब सिवनडीह पहुँच गया है तो उसे आगे जाने दिया जाय, जबकि दूसरा पक्ष विरोध कर रहा था । अपराह्न 05:40 बजे विरोध करने वालों ने प्रशासन द्वारा लगाये गये बैरीकेट को तोड़कर एन०एच० 33/जुलूस मार्ग को अवरूद्ध कर दिया तथा कुछ उपद्रवी जुलूस पर पथराव भी करने लगे। पुलिस द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने हेतु बल प्रयोग किया गया । माननीय विधायक श्री विरंची नारायण के नेतृत्व में बालीडीह से सिवनडीह की ओर आने वाले जुलूस को करीब संध्या 06:00 बजे सिवनडीह पहुँचने तक रूक-रूक कर पथराव किया जा रहा था । माननीय विधायक के नेतृत्व में बालीडीह का जुलूस सिवनडीह पार कर गया । तदुपरांत अपराह्न 06:00 बजे के आसपास रितुडीह से आने वाले जुलूस को भी वापस कराया गया । इसी क्रम में शरारती तत्वों ने फुड प्वांइट दुकान में लूटपाट की तथा वहाँ तीन वाहनों में आग भी लगा दिया । इस संबंध में आपके द्वारा उपायुक्त, बोकारो को दूरभाष पर घटना की जानकारी दी गयी । उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक, बोकारो के नेतृत्व में अविलम्ब अतिरिक्त बल के पहुँचने पर पूरी घटना पर नियंत्रण पाया गया । जुलूस में शामिल बच्चों एवं उपद्रवियों के अतिरिक्त दोनों संप्रदाय के काफी संख्या में निर्दोष व्यक्ति स्थल पर मौजूद थे । इस प्रकार न्यूनतम बल प्रयोग ही घटना पर नियंत्रण का सर्वोत्तम साधन था । बाद में स्थिति पर नियंत्रण पाने हेतु अश्रु गैस के गोले भी छोड़े गये । स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु माराफारी सहित चार थाना क्षेत्रों में कर्फ़्यू भी लगाया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-6829, दिनांक 9 अगस्त, 2016 द्वारा श्रीमती स्वांसी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

विभागीय आदेश सं०-7192, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० के स्थान पर श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० को विभागीय जाँच

पदाधिकारी नियुक्त किया गया । तत्पश्चात् विभागीय संकल्प सं०-7840, दिनांक 9 सितम्बर, 2016 द्वारा श्री झा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-101, दिनांक 3 नवम्बर, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । संचालन पदाधिकारी के समक्ष श्रीमती स्वांसी द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है-

बचाव बयान- प्रपत्र-'क' के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित आरोपों पर बचाव-बयान-

मैंने अनुमण्डल पदाधिकारी, चास, बोकारो का पदभार दिनांक 10 जून, 2015 को ग्रहण किया एवं इससे पूर्व विधि-व्यवस्था से संबंधित या अन्य कोई आरोप मुझ पर नहीं हैं ।

रामनवमी 2016 में चास अनुमण्डल में मेरे द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, चास के रूप में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जिला संयुक्त आदेश ज्ञापांक-1218, दिनांक 11 अप्रैल, 2016 निर्गत होने के पहले से अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था से जुड़े प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण समेत महत्वपूर्ण कार्यवाही की गयी है । रामनवमी 2016 दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को मनाया जाना था एवं परम्परागत जुलूस भी इसी दिन निकाला जाना था । दिनांक 15 अप्रैल, 2016 के पूर्व तक रामनवमी 2016 में सुरक्षा व्यवस्था संधारण हेतु मेरे द्वारा किया गया पर्यवेक्षण कार्य निम्नवत है:-

1. रामनवमी 2016 दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को मनाये जाने की सूचना सांप्रदायिक सौहार्द एवं विधि-व्यवस्था पर सतत् निगरानी रखने एवं किसी भी विपरीत परिस्थिति पर अविलंब सूचित करने हेतु बेतार संवाद- अनु. कार्या. चास पत्रांक 553/गो. दिनांक 5 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रखण्ड एवं थाना स्तर पर प्रमुख, मुखिया पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित कर शांति समिति की बैठक संपन्न करने हेतु चास अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी/ओ.पी. प्रभारी को निदेशित किया गया था ।

2. अनुमंडल कार्यालय चास के ज्ञापांक 554/गो०, दिनांक 5 अप्रैल, 2016 द्वारा चास अनुमंडल अंतर्गत सभी पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों का अवकाश दिनांक 11 अप्रैल, 2016 से 18 अप्रैल, 2016 तक रामनवमी 2016 में दण्डाधिकारी एवं अन्य विधि व्यवस्था संबंधी कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए रद्द करने का आदेश निर्गत किया गया ।

3. अनुमंडल पदाधिकारी, चास के रूप में मेरी अध्यक्षता में चास थाना में शांति समिति की बैठक दिनांक 10 अप्रैल, 2016 को अपराह्न 05:00 बजे आयोजित की गयी थी, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चास/थाना प्रभारी, चास/चास थाना अंतर्गत विभिन्न अखाड़ा के सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । बैठक में रामनवमी जुलूस रूट के अनुरूप निकालने, समय

का अनुपालन करने, डीजे पर प्रतिबंध लगाने एवं अन्य सभी विधि व्यवस्था से संबंधित जरूरी निदेश दिये गये ।

4. अनुमंडल पदाधिकारी, चास के रूप में मेरी अध्यक्षता में बोकारो शहरी क्षेत्र से सटे संवेदनशील स्थानों पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु एक विशेष बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के अपराह्न 07:00 बजे अनुमंडल कार्यालय, चास के गोपनीय कार्यालय में आहूत की गयी, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, कार्यपालक दंडाधिकारी, चास, थाना प्रभारी, बालीडीह, थाना प्रभारी बी.एस. सिटी एवं थाना प्रभारी माराफारी उपस्थित थे । बैठक में संवेदनशील जगहों पर सतर्कता बरतने, किसी भी अप्रिय घटना की संभावना प्रतीत होने पर अविलंब सूचना देने चिह्नित संवेदनशील स्थानों पर बैरीकेडिंग करने का निर्देश दिया गया । साथ ही, आवश्यकतानुसार 107 द. प्र. स. अथवा 144 द. प्र. संहिता प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया । बैठक में उक्त थाना क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने की सूचना दी गयी । रामनवमी 2016 में मात्र बालीडीह थाना प्रभारी द्वारा एक 107 द. प्र. संहिता का प्रतिवेदन भेजा गया था । जिसमें ससमय कार्रवाई कर दी गयी ।

5. अनुमंडल कार्यालय, चास के ज्ञापांक 591/गो०, दिनांक 12 अप्रैल, 2016 द्वारा उपायुक्त बोकारो के संयुक्त आदेश ज्ञापांक 1218/गो. दिनांक 11 अप्रैल, 2016 द्वारा रामनवमी 2016 प्रतिनियुक्ति आदेश का तामिला अनुमण्डल चास अंतर्गत सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को कराया गया ।

6. दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को आहूत जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 2-डी. कला केन्द्र बोकारो में मैं उपस्थित थीं । बैठक में रामनवमी 2016 में विधि व्यवस्था संधारणार्थ सभी जरूरी निर्देश दिये गये । बैठक शांतिपूर्ण रही ।

7. उपायुक्त बोकारो के ज्ञापांक 1208/गो. दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के अनुपालनार्थ अनुमंडल चास अन्तगत सभी थाना से धारा 107 एवं 144 द. प्र. सं. हेतु प्रतिवेदन को मांग की गई थी । जिससे बालीडीह थाना से मात्र एक 107 द. प्र. स. प्राप्त हुई, इसके अतिरिक्त किसी अन्य थाना से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ । प्राप्त प्रतिवेदन पर मेरे द्वारा ससमय कार्रवाई की गई ।

8. दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को रामनवमी के दिन पूरे चास अनुमंडल में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित रखने एवं जुलूस मार्गों पर वाहनों का दबाव कम रखने हेतु मेरी एवं पुलिस उपाधीक्षक यातायात के संयुक्त आदेश ज्ञापांक 594/अनुमंडल गो. दिनांक 13 अप्रैल, 2016 द्वारा सभी थाना प्रभारी को जरूरी निर्देश दिये गये ।

9. दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को रामनवमी में रामनवमी जुलूस के कार्यक्रमों की विडियोग्राफी की व्यवस्था मेरे द्वारा अनुमंडल चास के स्तर से की गयी थी । उल्लेखनीय है कि

दिनांक 15 अप्रैल, 2016 की घटना के पश्चात प्राथमिकी दर्ज करने एवं नामजद लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने में इस वीडियो रिकार्डिंग की अहम भूमिका है ।

10. रामनवमी 2016 में स्थिति के पर्यवेक्षण हेतु अनुमंडल गोपनीय कार्यालय में अनुमंडल नियंत्रण कक्ष (फोन नं. 06542-240288) 24 घंटे कार्यरत था ।

11. पूर्व के वर्षों के भांति नया मोड़ से सिवनडीह तक एन एच 23 पर मिलने वाले पथ पर मोटर साइकिल एवं अन्य वाहनों को रोकने एवं जुलूस को सुगमतापुर्वक जाने देने हेतु जुलूस मार्ग से मिलने वाले पथ पर बैरिकेडिंग हेतु मेरे द्वारा निर्देश दिया गया था । बैरिकेडिंग के लिए स्थान चिह्नित करते समय मुखिया रीतूडीह, अन्य पंचायत प्रतिनिधिगण एवं स्थानीय लोगों के अतिरिक्त मेरे साथ श्री विजय राजेश बारला, कार्यपालक दंडाधिकारी, श्री अजय कुमार पुलिस उपाधीक्षक नगर, माराफारी थानाप्रभारी एवं बी.एस.सिटी थाना प्रभारी उपस्थित थे । बैरिकेटिंग का कार्य दिनांक 14 अप्रैल, 2016 के अपराह्न तक पूर्ण कर दिया गया था ।

12. दिनांक 14 अप्रैल, 2016 को मेरी दैनिक भ्रमण एवं पर्यवेक्षण- रामनवमी 2016 हेतु अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष से दिनाँक 14 अप्रैल, 2016 को अपराह्न 2:00 बजे से समय-समय पर जिला संयुक्त आदेश के अनुरूप प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति, विधि-व्यवस्था एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी गई । अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष के कर्मियों द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि सारे प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी उपस्थित हैं एवं स्थिति सामान्य है । अपराह्न 4:00 बजे से मेरे द्वारा चास थाना क्षेत्र, बी. एस. सिटी थाना क्षेत्र एवं ऐक्टर -4 थाना क्षेत्र का भ्रमण किया गया । माराफारी थाना क्षेत्र में चल रहे बैरिकेडिंग कार्य का पर्यवेक्षण कार्य किया । मेरे द्वारा क्षेत्र की स्थिति सामान्य रहने की मौखिक जानकारी उपायुक्त, बोकारो को दूरभाष पर दी गई ।

13. दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को घटना के पूर्व तक का मेरी भ्रमण एवं पर्यवेक्षण कार्य- दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को पूर्वाह्न मैं अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डल पदाधिकारी चास के विभागीय मोबाईल से सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों की उपस्थिति की एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी ली । सभी जगह से स्थिति सामान्य होने की जानकारी प्राप्त होने पर मैंने उपायुक्त बोकारो को फोन नं. 9431126791 से स्थिति से अवगत कराई ।

अपराह्न में मैं अपने वाहन से ड्राईवर श्री विक्रम राम, अंगरक्षक श्री संजय भगत एवं श्री इंद्रदेव यादव, अनुसेवक श्री कृष्णापद रजवार के साथ बी.एस.सिटी थाना क्षेत्र होते हुए चास मुफ्फसिल थाना क्षेत्र पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र का भ्रमण करते हुए चास थाना में अपराह्न 3:30 बजे पहुंची, जहाँ पर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री विजयेन्द्र कुमार, थाना प्रभारी श्री कमल किशोर उपस्थित थे । मैंने उक्त पदाधिकारियों के साथ चास

में शांतिपूर्ण जुलूस निकालने के संबंध में समीक्षा की । समीक्षा के क्रम में ही मेरी पुलिस उपाधीक्षक नगर श्री अजय कुमार से फोन पर बात हुई । उन्होंने बताया कि वे स्वयं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय श्री सुनील कुमार एवं पुलिस उपाधीक्षक नियंत्रण कक्ष के रजतमणि बाखला सिवनडीह में उपस्थित हैं। उनके द्वारा मुझे भी सिवनडीह आने का आग्रह किया गया । समीक्षा के पश्चात् मैं सिवनडीह की ओर जा रही थी कि रास्ते में लकड़ीगोला के पास बी.एस. सिटी थाना प्रभारी श्री नागेश्वर सिंह द्वारा मेरे वाहन को रोककर मुझे बताया गया कि लगभग 15-20 मोटर साईकिल सवार प्रदर्शनकारी युवक तेजी से एन.एच. 23 का 3-4 चक्कर लगाया गया है एवं मना करने के बावजूद वे नहीं सुन रहे हैं । मैंने उन्हें उपलब्ध बल द्वारा सभी कथित मोटर साईकिल सवार लड़कों को चिह्नित कर रोड किनारे रोक कर रखने का निदेश दिया । उल्लेखनीय है कि बी.एस.सिटी थाना प्रभारी ने जिन मोटर साईकिल सवारों की शिकायत की थी, वे मेरे वहाँ पहुंचने से पहले एन.एच. 23 का चक्कर लगा रहे थे । मेरे वहां पहुँचने पर मोटर साईकिल सवार युवक वहां मौजूद नहीं थे । तथा मैंने एन.एच. 23 पर कोई मोटर साईकिल जुलूस नहीं देखी थी ।

मैं उकरीद मोड़ होते हुए रीतुडीह चैक पहुँची, जहाँ पर प्रतिनियुक्त पुलिस बल मौजूद थी । मेरे वहाँ पहुंचने पर रीतुडीह चैक में पूरी शांति थी । कथित जुलूस लगभग 1 घंटा पूर्व ही रीतुडीह चैक से निकलकर सिवनडीह की ओर बढ़ गयी थी । रीतुडीह चैक में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी किसी ने भी मुझे किसी अवैध जुलूस अथवा अन्य किसी तनाव के संबंध में जानकारी नहीं दी । मैं रीतुडीह से जुलूस निकले जाने के संबंध में तब तक पूर्णतः अनभिज्ञ थी ।

रीतुडीह चैक से होते हुए मैं सिवनडीह पहुँची । वहां मैने देखा कि एक जुलूस मेरे वाहन के आगे-आगे सिवनडीह चैक की ओर जा रही थी । मेरा वाहन जूलूस के ठीक पीछे था और मेरा वाहन जुलूस से आगे भीड़ के कारण नहीं बढ़ पा रहा था । उस समय वहां पर रोड के किनारे पुलिस उपाधीक्षक श्री अजय कुमार खड़े थे । मैंने अपने वाहन से ही बी.एस. सिटी थाना प्रभारी द्वारा बताये गये मोटर साईकिल जूलस एवं कम पुलिस बल की चर्चा की । उनके द्वारा बताया गया कि रितुडीह में स्थिति अब नियंत्रण में है । मैं पुलिस उपाधीक्षक श्री अजय कुमार से चर्चा की कि मेरे वाहन से आगे आगे जो जुलूस जा रही थी वो कैसा जुलस था एवं जुलूस सिवनडीह की ओर क्यों जा रही है? पुलिस उपधीक्षक नगर तत्काल जुलूस के आगे चले गये एवं मैं वाहन से उतर कर वहां पर उपस्थित लोगों से जुलूस के संबंध में पूछताछ करने लगी । जुलूस के लोगों द्वारा बताया गया कि यह स्वागत जुलूस है जो प्रतिवर्ष बालीडीह की ओर से आने वाले जुलूस के स्वागत हेतु सिवनडीह आता है । इसी बीच जुलूस के आगे हलचल महसूस होने लगी । पूछताछ करने पर उपस्थित लोगों ने बताया कि इस वर्ष स्वागत जुलूस का स्थानीय मुस्लिम धर्मावलंबी आपत्ति कर रहे हैं । एवं आगे पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक नियंत्रण कक्ष एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं जो

लोगों को शांति बनाये रखने हेतु अनुरोध कर रहे हैं । मैं जुलूस के आगे जाना चाह रही थी किंतु लोगों की भारी भीड़ होने के कारण जाना संभव नहीं हो पा रहा था । अचानक एक मिनी ट्रक सिवनडीह से विपरीत दिशा में मुड़ने लगी एवं लोगों में भगदड़ मच गयी । लोग चारों ओर भागने लगे । मैं दौड़ कर उस मिनी ट्रक की ओर गयी । ट्रक के सामने का शीशा टूटा हुआ था । ड्राइवर का हाथ लहूलुहान था एवं वह चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा था कि मुस्लिम संप्रदाय के लोगों द्वारा जुलूस पर फायरिंग किया जा रहा है । इसी बीच दोनों संप्रदायों के लोगों द्वारा पथराव शुरू हो गया । मैंने तुरंत स्थिति की जानकारी उपायुक्त, बोकारो को फोन पर दी । फायरिंग की अफवाह, बेकाबू भीड़ एवं कम पुलिस बल के कारण अतिरिक्त बल के आवश्यकता के संबंध में उनको जानकारी दी ।

मौके पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया । भारी पथराव के बीच मैं, पुलिस उपाधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक नियंत्रण कक्ष एवं हमारे अंगरक्षकों द्वारा दोनों संप्रदाय के लोगों पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा था । अल्प पुलिस बल के कारण स्थिति को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी । इसी बीच पथराव से जूझते हुए हमलोंगों ने बालीडीह की ओर से आने वाली जुलूस, जिसका नेतृत्व माननीय विधायक श्री विरंची नारायण कर रहे थे, को सुरक्षित निकाला । पथराव, नारेबाजी एवं सांप्रदायिक तनाव से मैं लगातार जूझती रही, परन्तु एक क्षण के लिए भी स्थल को नहीं छोड़ी । सूचना देने के लगभग डेढ़ से दो घंटे के बाद उपायुक्त बोकारों एवं पुलिस अधीक्षक बोकारो घटना स्थल पर अतिरिक्त बल, अश्रु गैस, वाटर कैनल इत्यादि के साथ पहुंचे । उस समय अंधेरा हो रहा था । मेरे अंगरक्षक श्री संजय भगत ने सूचना दी कि कुछ दूरी पर रोड किनारे वाहन में असामाजिक तत्त्वों द्वारा आग लगा दी गयी है । मैंने इसकी सूचना तत्काल दूरभाष से उपायुक्त महोदय को दी, तो उनके द्वारा बताया गया कि वे अतिरिक्त बल के साथ पहुंच चुके हैं एवं आग लगाये वाहन के पास ही खड़े हैं, अंधेरा होने के कारण एक दूसरे को पहचानने में कठिनाई हो रही थी । वाहनों में आगजनी एवं लूटपाट की घटना उपायुक्त बोकारो एवं पुलिस अधीक्षक बोकारो के घटना स्थल पर पहुँचने के बाद की है एवं वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं । घटनास्थल पर पथराव से उपायुक्त महोदय बोकारो भी चोटिल हुए थे । उस समय तक स्थल पर पूरी तरह अंधेरा छा गया था एवं अतिरिक्त बल द्वारा प्रयोग कर लगभग दो घंटे पश्चात् स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया । इसके पश्चात् एहतियातन उपायुक्त, बोकारो के मौखिक निदेश पर मेरे द्वारा चास थाना क्षेत्र में कफ्र्यू की घोषणा की गयी ।

उपरोक्त सारा घटनाक्रम अक्षरशः सत्य है एवं इसकी पुष्टि उल्लिखित लोगों से की जा सकती है । मेरे द्वारा सर्वप्रथम घटना की जानकारी उपायुक्त महोदय को दी गयी एवं अविलंब अतिरिक्त बल की मांग की गयी । महिला पदाधिकारी होते हुए भी भारी सांप्रदायिक तनाव, पथराव में स्थिति को नियंत्रण में करने जुटी रही, ये सभी मेरी कर्तव्यपरायणता एवं सीलनिष्ठा का प्रमाण है ।

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि रामनवमी 2016 के अवसर पर दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को जिले के माराफारी थाना क्षेत्र के सीवनडीह में मैंने पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य किया है। मेरे द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था एवं पर्यवेक्षण में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है । मेरे द्वारा जिला संयुक्त आदेश ज्ञापांक 1218 दिनांक 11 अप्रैल, 2016 में सुरक्षा व्यवस्था एवं पर्यवेक्षण हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, चास को निदेशित सभी आदेशों का अक्षरशः पालन किया गया है ।

प्रपत्र-'क' के अनुलग्नक-2 में उल्लिखित आरोपों पर कंडिकावार बचाव-बयान-

1. जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक दिनांक 12 अप्रैल, 2016 में मैं उपस्थित थी। उक्त बैठक में सभी प्रतिनियुक्त गश्ती दंडाधिकारियों एवं विभिन्न चैक-चैराहों पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारियों को धार्मिक जुलूस में मोटरसाईकिल परिचालन, डी.जे. आदि के बजाने पर रोक एवं संवेदनशील स्थानों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई थी । उक्त बैठक में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे एवं सभी को अपने कर्तव्य के संबंध में पूर्णरूपेण स्पष्ट जानकारी दे दी गई थी । सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को स्पष्ट आदेश था कि उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार में मोटरसाइकिल जुलूस, अवैध जुलूस, डी.जे. वादन अथवा अन्य किसी प्रकार की नियमों का उल्लंघन हो, अप्रिय घटना की संभावना हो तो इसकी सूचना तत्काल उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पदाधिकारी/जिला/अनुमंडल नियंत्रण कक्ष को देना सुनिश्चित करेंगे ।

2. संयुक्त जिला आदेश ज्ञापांक 1218, दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के आदेशानुसार मैंने दिनांक 14 अप्रैल, 2016 के अपराह्न से समय-समय पर अनुमंडल नियंत्रण कक्ष एवं स्थल भ्रमण कर दंडाधिकारियों की उपस्थित का पर्यवेक्षण किया है । मेरे द्वारा भ्रमण किये गये स्थल में दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को घटना के पूर्व तक सभी दंडाधिकारियों को उपस्थित पाया गया । घटना के समय अनुपस्थित दंडाधिकारी के संबंध में मैंने उपायुक्त बोकारो को प्रतिवेदन भेज दिया था ।

3. जाँच प्रतिवेदन का ये कथन पूर्णतया असत्य है कि मेरे द्वारा साइकिल जुलूस का अवलोकन एन.एच.-23 पर किया गया एवं जुलूस को नजरअंदाज कर सिवनडीह पहुंच गये । सिवनडीह जाने के क्रम में लकड़ीगोला-उकरीद मोड़ के पास बी.एस. सिटी प्रभारी द्वारा मेरे वाहन को रोक कर बताया गया कि मेरे वहां आगमन से पूर्व मोटरसाइकिल सवार युवा एन.एच.-23 में चक्कर लगा रहे थे एवं मना करने के बावजूद नहीं सुन रहे थे । विदित हो कि वे मेरे आगमन के पूर्व के मोटरसाइकिल जुलूस के संबंध में शिकायत कर रहे थे । मैंने मोटरसाइकिल जुलूस सवार यदि पुनः आते हैं तो उन्हें रोकने का निर्देश दिया था । जांच पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के साथ श्री गुलाब चंद्र प्रमुख झारखण्ड नवनिर्माण सेना, सिवनडीह के स्थानीय हैं का आवेदन संलग्न है, जिसके बिंदु 09 में उल्लेख है कि मोटरसाइकिल जुलूस दिन के 1 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग में निकला था । उस समय मैं चास थाना

क्षेत्र के भ्रमण में थी, इससे भी प्रमाणित होता है कि मैंने मोटरसाइकिल जुलूस को नहीं देखा था। मोटरसाइकिल जुलूस को देखकर नजरअंदाज करने का आरोप तथ्यों से परे है ।

4. मेरे द्वारा उपायुक्त, बोकारो को दूरभाष पर घटना को सूचना देने के करीब डेढ़ से दो घंटे पश्चात उपायुक्त, बोकारो एवं पुलिस अधीक्षक, बोकारो अतिरिक्त बल के साथ पहँचे । इस बीच मैं एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय एवं पुलिस उपाधीक्षक सी.सी. आर. अल्पतम बल के साथ स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे थे । हमारी अथक प्रयास एवं सूझ-बूझ के परिणामस्वरूप सिवनडीह में जानमाल की गंभीर क्षति नहीं हुई ।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य- आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप-पत्र, आरोप की विवरणी, आरोप पत्र के साथ संलग्न साक्ष्य, आरोपी का बचाव-बयान एवं सुनवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं आरोपी के लिखित बहस में वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आरोपी क बचाव-बयान में वर्णित तथ्यों का उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा कहीं भी खण्डन नहीं किया गया है । उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि विधि व्यवस्था की समस्या रूट चार्ट की जानकारी नहीं रहने के कारण उत्पन्न हुई । रूट चार्ट की जानकारी रखना एवं संबंधित क्षेत्र के दण्डाधिकारियों को रामनवमी त्योहार के रूट चार्ट की जानकारी देना अनुमंडल पदाधिकारी का दायित्व था, जिसका निर्वहन तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती स्वांसी के द्वारा नहीं किया गया, जिससे विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई ।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों का प्रतिवाद करते हुए यह कहा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी को रूट चार्ट उपलब्ध कराने हेतु कोई लिखित या मौखिक आदेश प्राप्त नहीं था। जिला संयुक्त आदेश की कंडिका-xiii में स्पष्ट आदेश है कि "सभी दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस बल को प्रतिनियुक्त स्थान पर जाने के पूर्व पूर्णरूपेण उनके कर्तव्यों एवं प्रतिनियुक्त स्थान के इतिहास की जानकारी थाना प्रभारी/पुलिस निरीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी देंगे। चूँकि अखाड़ा के लाईसेंस थाना स्तर पर संधारित रहते हैं ।"

अनुमंडल पदाधिकारी को दण्डाधिकारी की शक्ति भी प्राप्त रहती है । अतः अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था का संधारण उनकी मुख्य जिम्मेवारी है । रामनवमी, 2016 के अवसर पर उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो (गोपनीय शाखा) के द्वारा निर्गत संयुक्त आदेश की कंडिका-xiii में उल्लेख है कि अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्र के पूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटे तथा विधि व्यवस्था बनी रहे । उनसे कनीय दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन सम्यक् रूप से किया जा रहा है या नहीं-इसे सुनिश्चित करना उनके पर्यवेक्षकीय दायित्व के अंतर्गत ही आता है । अतः आरोपी पदाधिकारी का यह कहना कि रूट चार्ट की जानकारी देने के संबंध में उन्हें कोई लिखित या मौखिक आदेश प्राप्त नहीं

था, समुचित प्रतीत नहीं होता है । विधि व्यवस्था के संधारण हेतु परिस्थिति के अनुरूप स्वविवेक से निर्णय लिये जाने की अपेक्षा होती है, जिसके संबंध में सभी आदेश/अनुदेश लिखित या मौखिक रूप से देना व्यवहारिक रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है । अतः आरोपी के द्वारा किसी लिखित या मौखिक आदेश के अभाव में रूट चार्ट की जानकारी प्राप्त नहीं की गयी अथवा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को रूट चार्ट की जानकारी है या नहीं-इसे सुनिश्चित नहीं किया गया तो यह 'कर्तव्य में लापरवाही' नहीं तो कर्तव्य में चूक अवश्य है, जिसके लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी हैं ।

श्रीमती स्वांसी के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि रामनवमी पर्व के अवसर पर दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को जिले के माराफारी थाना के रितूडीह में निकाले गये अनधिकृत जुलूस पर यदि समय रहते काबू पा लिया जाता तो शायद उस दिन की अप्रिय घटना को टाला जा सकता था, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि रामनवी जैसे पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था का संधारण एक सुनिश्चित व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाता है, जिसमें किसी भी स्तर से छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी परेशानी का करण बन सकती है । चूँकि अनुमंडल पदाधिकारी अपने अनुमंडल क्षेत्र के व्यवस्था रूपी पिरामिड के शीर्ष पर है, अतः उपर्युक्त घटना के लिए प्रशासनिक चूक की जिम्मेदारी श्रीमती मंजु रानी स्वांसी, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी की है ।

समीक्षोपरांत, श्रीमती मंजु रानी स्वांसी, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चास सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है । साथ ही, निलंबन अवधि में श्रीमती स्वांसी को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत् केवल जीवन यापन भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 329--50